

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

दस हजार रुपये

भारत

रु. 10000

Rs. 10000

TEN THOUSAND RUPEES

INDIA

A 0153 015334

विक्रय पत्र 500000 रुपये

विक्रेता:—बदरुनिशा पत्नी बुन्दु खान उम्र 45 साल जाति देशवाली मुसलमान निवासी गाडरवाडा नूरजी तहसील खानपुर जिला झालावाड राजस्थान।

क्रेता:— मदर इण्डिया एज्युकेशन सोसायटी झालावाड जरिये सचिव आजाद हुसैन आत्मज श्री शमसुद्दीन उम्र 38 साल निवासी सुभाष कॉलोनी झालावाड राजस्थान।

यह विक्रय पत्र आज दिनांक 24.06.2013 को बदरुनिशा पत्नी बुन्दु खान जाति देशवाली मुसलमान निवासी गाडरवाडा नूरजी तहसील खानपुर जिला झालावाड राजस्थान एवं जो विक्रय पत्र की प्रथम पक्षकार है जिसे आगे विक्रेता कही गई है तथा मदर इण्डिया एज्युकेशन सोसायटी झालावाड जरिये सचिव आजाद हुसैन आत्मज श्री शमसुद्दीन निवासी सुभाष

बदरुनिशा 2013

लगातार.....

क्रमांक... 137.8... दिनांक 24/6/13
 नाम... 22 मिशा, मिला श्री/पति/पुत्री बुद्धु खान
 जाति... निवासी गांधीवाडा तहसील खानपुर
 जिला... वारसे

[Signature]
 सुरन्द कुमार गहलोत
 स्टाम्प वेण्डर खानपुर
 ला0 नो 24/07

10,004 = 10,007 -
 10x4 = 40
 10040



राज्य सरकार ... मास ... 08 ... तन् 20 JB
 को 10:30 को घंटे 10:40 के मध्य खानपुर के
 पञ्चायत कार्यालय में श्री अवरुणिशा
 श्री बुद्धु खान
 ए-45 की जाति ...
 निवास गांधीवाडा तहसील खानपुर में यह लख पत्र पञ्चायत हेतु
 प्रस्तुत किया।

24/6/13

दस्तावेज नं० बुद्धु खान 24/06/13
 रजि० फीस 5940/-
 प्रकलन 300/-
 19660/-
 2970/-
 रजिस्ट्रार फीस
 28870/-
 सय मंत्रीयक, खानपुर



राजस्थान RAJASTHAN

64AA 606624

कॉलोनी झालावाड़ राजस्थान एवं जो इस विक्रय पत्र का द्वितीय पक्षकार है जिसे आगे क्रेता कहा गया है के मध्य निष्पादित किया गया है।

ओर चूंकि उक्त प्रथम पक्ष के खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम खानपुर में नया खाता नं. 400 पुराना खाता नं. 422 की खसरा नं. 361 की 3 बीघा 01 बिस्वा किस्म माल दायम रकम 1.90 रूपये प्रति बीघा से लगानी 5.79 रूपये है स्थित है उक्त खसरा नंबर की आराजी 3 बीघा 01 बिस्वा में से 0.18 बीघा दक्षिण की तरफ की मदर इण्डिया एज्युकेशन सोसायटी झालावाड़ जरिये सचिव आजाद हुसैन आत्मज श्री शमसुद्दीन निवासी सुभाष कॉलोनी झालावाड़ राजस्थान को विक्रय करके कब्जा संभला दिया है उक्त आराजी को विक्रय करने का प्रथम पक्ष का पूर्ण अधिकार है प्रथम पक्ष ने इससे पूर्व उक्त आराजी को किसी अन्य को विक्रय दान, बंधक या अन्य प्रकार से हस्तान्तरित नहीं किया है ओर न ही उक्त आराजी पर कोई ऋण या कर आदि बकाया है उक्त आराजी किसी अदालती कार्यवाही में विवाद ग्रस्त नहीं है जिसका मात्र स्वामी प्रथम पक्ष है।

चूंकि प्रथम पक्ष को रूपयो की आवश्यकता है इसलिये उक्त आराजी को 500000 रूपये में विक्रय करने का प्रस्ताव प्रथमपक्ष द्वारा द्वितीयपक्ष के समक्ष रक्खा जो स्वीकार करता है स्टाम्प 10040 रूपये के लगाये गये है।

लगातार.....

लक्ष्मी देवी

क्रमांक 1385 दिनांक 24-6-2013
 नाम श्री. लक्ष्मिणा श्री/पति/पुत्री विन्दुशर्मा
 पते मुसलमान ब्रह्मलीगाड रोड/बदरगान्ग
 जिला झालावाड जयपुर वि. प्र. म. म.

[Signature]
 जयपुर जिला
 जयपुर जिला
 जयपुर जिला

01/2/2013



पुत्र श्री लक्ष्मिणा के पुत्र
 प्रोत्साहन का निष्पादन स्वीकार किया।
 अर्थात् निष्पादन का निष्पादन करने के लिये प्रमाणित किया गया।
 मूल्य 50000/- रु. के
 वे 50000/- रु. के
 कुल मूल्य अंश 100000/- रु. के

[Signature]
 जयपुर जिला
 जयपुर जिला

साकिर भल



- अवत निष्पादन कता कता का गवाह -
1. श्री साकिर भल पुत्र श्री लक्ष्मिणा
 आयु 30 वर्ष जन्म मुसलमान ब्रह्मलीगाड रोड/बदरगान्ग
 निवासी मुसलमान ब्रह्मलीगाड रोड/बदरगान्ग
 2. श्री साकिर भल पुत्र श्री लक्ष्मिणा
 आयु 36 वर्ष जन्म मुसलमान ब्रह्मलीगाड रोड/बदरगान्ग
 निवासी मुसलमान ब्रह्मलीगाड रोड/बदरगान्ग

[Signature]
 जयपुर जिला
 जयपुर जिला





RAJASTHAN

64AA 606626

1. कि उक्त विक्रेता प्रथम पक्ष ने क्रेता से द्वितीय पक्ष से उक्त आराजी की प्रतिफल राशी 500000 रूपये अक्षरे पांच लाख रूपये बाला-बाला प्राप्त कर लिए है तथा आराजी का कब्जा क्रेता को संभला दिया है।
2. कि उक्त आराजी सभी प्रकार के भारों एवं प्रभारों से मुक्त है, भविष्य में उक्त आराजी के स्वामित्व संबंधी त्रुटि के लिये विक्रेता प्रथम पक्ष उत्तरदायी होगा।
3. कि इस विक्रय पत्र के निष्पादन की तिथि से उक्त आराजी का स्वामित्व क्रेता में निहित हो गया है एवं वह स्वयं या उसके उत्तराधिकारी वारिस या अर्धांगनी उसका उपयोग एवं उपभोग अपनी इच्छानुसार कर सकेंगे जिससे विक्रेता उसके उत्तराधिकारी एवं वारिस किसी प्रकार की बाधा नहीं डालेंगे।
4. कि इस विक्रय पत्र के निष्पादन की तिथि से क्रेता उक्त आराजी को किसी को भी हस्तान्तरित करने को स्वतन्त्र है।
5. कि उक्त आराजी पर कोई कर आदि बकाया नहीं है। भविष्य में देयकारो का भुगतान क्रेता द्वारा किया जायेगा।

01/06/2021

लगातार.....

क्रमांक 1385 दिनांक 24-6-2013
 नाम बुद्धिनिधि/पति/पुत्री
 पति मुहम्मद निवासी आडवाडी
 जिला इनालावाडी वारसे

[Signature]
 [Stamp]

डाक अनाक 24 बार 06 तन् 2013
 को पुस्तक संख्या 01 सिद्ध संख्या 19
 क्रम संख्या 953 पत्र संख्या 51 से 6

कि विवाह कर पर वसीयत किया गया है कि यह पत्र संख्या 19
 को पुस्तक संख्या 01 सिद्ध संख्या 19
 क्रम संख्या 953 पत्र संख्या 51 से 6
 कि विवाह कर पर वसीयत किया गया है कि यह पत्र संख्या 19
 को पुस्तक संख्या 01 सिद्ध संख्या 19
 क्रम संख्या 953 पत्र संख्या 51 से 6
 कि विवाह कर पर वसीयत किया गया है कि यह पत्र संख्या 19
 को पुस्तक संख्या 01 सिद्ध संख्या 19
 क्रम संख्या 953 पत्र संख्या 51 से 6



राजस्थान RAJASTHAN

64AA 606623

यह आराजी खानपुर से बांरा जाने वाले मेघा हाईवे रोड से 105 मीटर से दूर है इस आराजी आरजी के आस पास कोई औद्योगिक इकाईया नही है यह आराजी नगरपालिका सीमा मे नही आता है।

यह दस्तावेज विक्रेय पत्र 10000 रूपये का एक किता स्टाम व 10 रूपये के चार स्टाम पर तहरीर किया गया है।

1. इस दस्तावेज द्वारा हस्तान्तरित की जाने वाली भूमि किसी स्थानिय निकाय/ विभाग की नहीं है।
2. इस दस्तावेज में अंकित कोई भी शब्द संदिग्ध व भ्रामक नही है।

79
उप बंजीयक
खानपुर (झालावाड़)

वचन पत्र

हम बदरुनिशा पत्नी बुन्दु खान जाति देशवाली मुसलमान निवासी गाडरवाड़ा नूरजी तहसील खानपुर जिला झालावाड़ राजस्थान विक्रेता मदर इण्डिया एज्युकेशन सोसायटी झालावाड़ जरिय सचिव आजाद हुसैन आत्मज श्री शमसुद्दीन निवासी सुभाष कॉलोनी झालावाड़ राजस्थान क्रेता वचन देते हे कि दस्तावेज विक्रय पत्र भविष्य में अस्पष्ट एवं अपठनीय होने पर पंजीयन विभाग की कोई जिम्मेदारी नही है।

बदरुनिशा

लगातार.....


क्रमांक 1385 दिनांक 24-6-2013
सं. बद्रकीर्तिशा अ/पति/पुत्री वि. नु. 100
आदिमुसलमान इस्लामीकरण 2011 मु. 1
वि. मीलाबाई वरसे वि. 100/11/13




राजस्थान
यदि कोई व्यक्ति किसी बैंक में एक लाख रुपये का निधि जमा करता है तो वह बैंक से उसे एक लाख रुपये का चेक निकाल सकता है।
यदि बैंक में जमा की गई राशि 10000 रुपये तक है तो वह बैंक से उसे निकाल सकता है।
यदि बैंक में जमा की गई राशि 10000 रुपये से अधिक है तो वह बैंक से उसे निकाल सकता है।
यदि बैंक में जमा की गई राशि 10000 रुपये से अधिक है तो वह बैंक से उसे निकाल सकता है।

एच एच

यदि कोई व्यक्ति किसी बैंक में एक लाख रुपये का निधि जमा करता है तो वह बैंक से उसे एक लाख रुपये का चेक निकाल सकता है।
यदि बैंक में जमा की गई राशि 10000 रुपये तक है तो वह बैंक से उसे निकाल सकता है।
यदि बैंक में जमा की गई राशि 10000 रुपये से अधिक है तो वह बैंक से उसे निकाल सकता है।
यदि बैंक में जमा की गई राशि 10000 रुपये से अधिक है तो वह बैंक से उसे निकाल सकता है।


अधीक्षक
(कानून) मुंबई



RAJASTHAN

64AA 606625

यह विक्रय पत्र मैने बदरुस्ती होश हवाश बिना किसी दाब दबाव के बिना नशे पते के लिख दिया जो सनद रखे वक्त जरूरत काम आवे।



क्षीगण

हस्ताक्षर *साबीर अली*
 साबीर अली आत्मज श्री वाहिद अली
 उम्र 30 साल निवासी चोंदखेडी
 खानपुर जिला झालावाड़ (राज.)

बदरुस्ती
 प्रथम पक्ष विक्रेता हस्ताक्षर



हस्ताक्षर *रमेश चन्द पारेता*
 रमेश चन्द पारेता आत्मज श्री कन्हैयालाल
 उम्र 36 साल निवासी डूण्डी गाडरवाडा
 तह.खानपुर जिला झालावाड़ (राज.)

Azad
 द्वितीय पक्ष क्रेता हस्ताक्षर

यह विक्रेय पत्र बदरुनिशा के कहे मुताबिक लिखा पढकर सुनाया गया।


बेकलम सुरेन्द्र कुमार गहलोत डीडराइटर खानपुर जिला झालावाड़ (राज.)

742
 उप यजीयक
 खानपुर (झालावाड़)

बदरुस्ती
 डीडराइटर
 सुरेन्द्र कुमार गहलोत
 खानपुर जिला झालावाड़ (राज.)
 24/01/2013

क्रमांक... 1385 दिनांक 24-6-2013
नाम... लक्ष्मिशांति श्री/पति/पुत्री विन्धुरां
जाति... मुसलमाना वारी बरजीगुहा 2013
जिला... मालवा वारं विन्धुवा

(Signature)
...
...



...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...



राजस्थान-1

6/10/07

विक्रय पत्र :- 35,000/-रूपये।

विक्रेता:- श्रीमति बदरुनिशा पत्नि श्री बुन्दुखान उम्र 39 वर्ष जाति मुसलमान साकिन गाडरवाडा नूरजी तहसील खानपुर जिला झालावाड राजस्थान

क्रेता :- मदन इन्डिया एज्यूकेशनल सोसायटी झालावाड जयें सचिव आजाद हुसैन पुत्र शमसुउद्दीन उम्र 35 वर्ष जाति मूसलमान निवासी सुभाष कालोनी झालावाड तहसील झालरापाटन जिला झालावाड राजस्थान।

यह विक्रय पत्र आज दिनांक 08.10.2007 श्रीमति बदरुनिशा पत्नि श्री बुन्दुखान जाति मुसलमान साकिन गाडरवाडा नूरजी तहसील खानपुर जिला झालावाड राजस्थान, जिसे आगे विक्रेता कहा गया है, एवं जो इस विक्रय पत्र के प्रथम पक्षकार है तथा मदन इन्डिया एज्यूकेशनल सोसायटी झालावाड जयें सचिव आजाद हुसैन पुत्र शमसुउद्दीन जाति मूसलमान निवासी सुभाष कालोनी झालावाड तहसील झालरापाटन जिला झालावाड राजस्थान, जो इस विक्रय पत्र के द्वितीय पक्षकार है जिन्हें आगे क्रेता कहा गया है, के मध्य निष्पत्ति किया गया है।

और चूंकि उक्त प्रथम पक्ष की अपने खाते व कच्चे काश्त की आराजी ग्राम खानपुर तहसील खानपुर जिला झालावाड राज. में मेघा हाइवे बाई पास पर जिसका जमाबन्दी सम्वत् 2059-2062 के अनुसार नया खाता नं 394 व पुराना खाता नंबर 357 की खसरा नंबर 361 की डोल की टुकडी 4 बीघा 16 बिस्वा किस्म माल दोयम रम 1.90 रू. से लगानी 9.12 रू. है

लक्ष्मी

क्रमांक:- 3848

दिनांक:- 8-10-19

श्रीमति बहिनशा पत्नी श्री ब्रह्म खान जाति मुसलमान निवासी गाडरवाडा
नुरणी तहसील खानपुर जिला झालावाड राज0

(Signature)

चांद खाँ

स्टाम्प वेण्डर खानपुर

क्र.सं.	काम का विवरण	राशि
1	5000 x 1 =	5000
2	1000 x 3 =	3000
		<u>8000</u>

आज सेगवर दिनांक 08 मास 10 सन् 2019 को 12:30 को बजे 12:15 बजे के मध्य खानपुर के उप पंचायत कार्यालय में श्री कल्याण शिखा पत्नी श्री ब्रह्म खान जाति मुसलमान निवासी गाडरवाडा ने यह सब पत्र पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

(Signature)
उप पंचायक, खानपुर

रसोद नं० 28180 8-10-19
 रजि० फीस 200/-
 नकल 200/-
 कागज 5000/-
 योग 5400/-
(Signature)
 उप पंचायक, खानपुर



राजस्थान RAJASTHAN

527966

स्थित है। इस उक्त खसरा नम्बर की कुल कित्ता 1 कि कुल 4 बीघा 16 बिस्वा आराजी में से 1 बीघा उत्तर की तरफ वाली आराजी सम्पूर्ण को विक्रय करना चाहते है। उक्त आराजी को विक्रय करने का प्रथम पक्ष को पूर्ण अधिकार है। प्रथम पक्ष ने इससे पूर्व उक्त आराजी को किसी अन्य को विक्रय, दान, बंधक या अन्य प्रकार से हस्तान्तरित नहीं किया है जिस पर प्रथम पक्ष ही काबिज है उक्त आराजी पर कोई ऋण, कर एवं अन्य प्रभार बकाया नहीं है और नही उक्त आराजी किसी अदालती कार्यवाही में विवादास्पद है। उक्त आराजी हर तरह से फाट एवं साफ है जिसका एक मात्र स्वामी प्रथम पक्ष ही है।

चूंकि प्रथम पक्ष को रूपयों की आवश्यकता है इसलिये उक्त आराजी को 35,000/- रूपयें अक्षरें पेंतीस हजार रूपयें में विक्रय करने का प्रस्ताव प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष के समक्ष रखा जो स्वीकार करते है मगर आराजी का बाजार भाव ज्यादा होने से स्टाम्प 8,000/- रूपयों के लगाये गये है।

1. कि उक्त विक्रेता प्रथम पक्ष ने क्रेता द्वितीय पक्ष से उक्त आराजी के प्रतिफल की राशि 35,000/- रूपयें अक्षरें पेंतीस हजार रूपयें को बाला बाला प्राप्त कर ली है तथा और क्रेता से कोई राशि लेना शेष नहीं है। आराजी का कब्जा क्रेता को सम्भला दिया है।
2. कि उक्त आराजी सभी प्रकार से भारों एवं प्रभारों से मुक्त है। तथा भविष्य में उक्त आराजी के स्वामित्व सम्बन्धित त्रुटि के लिये विक्रेता पक्ष उत्तरदायी होगा।

क्रमांक:- 3848

दिनांक:-

8/10/07

बहलनिशा पत्नी श्री बुद्ध खान जाति मुसलमान निवासी छाहरवाडा नुरणी तहसील खानपुर जिला झालावाड राज0

[Signature]

पाँद जाँ

स्टाम्प वेण्डर खानपुर

बहलनिशा



एवम श्री *[Signature]* ने इस

सौजन्य का निष्पादन स्वीकार किया।

सर्वतः निष्पादन का अर्थ है कि मैंने इसका अर्थ है कि मैंने

समस्त स्वयंकाय रूप से *35000/-* से *5000/-* तक

से *35000/-* तक का अर्थ है कि मैंने *5000/-* तक

सुझा सब रजिस्टार में रजिस्टार करवाया है।

[Signature]

एव पंजीयक, खानपुर

[Signature]



एवम निष्पादन करता / करती का गवाही

1. श्री *[Signature]* पुत्र श्री *[Signature]* ने

आयु *28* वर्ष जाति *[Signature]* व्यवसाय *[Signature]*

निवासी *[Signature]* तहसील *[Signature]* जिला *[Signature]*

2. श्री *[Signature]* पुत्र श्री *[Signature]* ने

आयु *35* वर्ष जाति *[Signature]* व्यवसाय *[Signature]*

निवासी *[Signature]* तहसील *[Signature]* जिला *[Signature]*


[Signature]

एव पंजीयक, खानपुर



राजस्थान RAJASTHAN

527967



3. कि इस विक्रय पत्र के निष्पादन की तिथि से उक्त आराजी का स्वामित्व क्रेतागण में निहित हो गया है एवं वह स्वयं उसके उत्तराधिकारी वारिस, उसका उपयोग एवं उपभोग अपनी इच्छानुसार कर सकेंगे जिसमें विक्रेता उसके उत्तराधिकारी वारिस किसी प्रकार की बाधा नहीं डालेंगे।
4. कि इस विक्रय पत्र के निष्पादन की तिथि से क्रेता उक्त आराजी को किसी को भी हस्तांतरित करने एवं इच्छानुसार उपयोग व उपभोग करने को स्वतंत्र है।
5. कि उक्त आराजी पर कोई कर आदि बकाया नहीं है तथा भविष्य में देयदारों का भुगतान क्रेता द्वारा किया जायेगा।

यह आराजी सड़क से 1/2 किमी. दूर है तथा आबादी से भी 1 किमी. दूर है इस आराजी के आस पास कोई औद्योगिक ईकाईयां नहीं है। यह आराजी नगरपालिका सीमा में नहीं आती है।

इस दस्तावेज विक्रयपत्र पर स्टाम्प 8000/-रुपये के लगाये जिसमें 5000/-रु. के एक किता नम्बरी 174726 व 1000 रु. के तीन किता नम्बरी 527966 से 527968 कुल किता चार पर तहरीर किया गया है।

1. इस दस्तावेज द्वारा हस्तांतरित की जाने वाली भूमि किसी स्थानीय निकाय/विभाग की नहीं है
2. इस दस्तावेज में अंकित शब्द संदिग्ध व भ्रामक नहीं है।
3. उक्त आराजी सीलिंग एक्ट के अंतर्गत नहीं आती है।
4. उक्त आराजी कीमतन सिंचित की जाती है।

क्रमांक:- 3848

दिनांक:- 8/10/07

श्रीमती वरुनीश्या पत्नी श्री सुन्दर खैर जाति मुसलमान निवासी गाडरवाडा बुरगी तहसील जैनपुर जिला झारखण्ड राब0

पाँद खौ

स्टाम्प केण्डर खानपुर

क्रमांक:-

पत्नी

जिला

दिनांक:-

श्रीमती वरुनीश्या पत्नी श्री सुन्दर खैर जाति मुसलमान निवासी गाडरवाडा बुरगी तहसील जैनपुर जिला झारखण्ड राब0

क्रमांक:-

श्रीमती वरुनीश्या पत्नी श्री सुन्दर खैर जाति मुसलमान निवासी गाडरवाडा बुरगी तहसील जैनपुर जिला झारखण्ड राब0

पाँद खौ

आज दिनांक 08 भाद्र 2007
को पुस्तक संख्या 100 जिल्ह संख्या 136
पृष्ठ संख्या 1996 पृष्ठ संख्या 180
पर प्रतीकित किया गया।
प्रतिवधि अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 पर जिल्ह संख्या 178
में पृष्ठ संख्या 388-391 दिनांक 08 भाद्र 2007
सन् 2007 को दिवस है।

Handwritten signature and text



राजस्थान RAJASTHAN

527968

वचनपत्र

मैं श्रीमति बदरूनिशा पति श्री बुन्दुखान जाति मुसलमान साकिन गाडरवाडा नूरजी तहसील खानपुर जिला झालावाड़ राजस्थान विक्रेता, तथा मदर इन्डिया एज्यूकेशनल सोसायटी झालावाड़ जय सचिव आजाद हुसैन पुत्र शमसुउद्दीन जाति मूसलमान निवासी सुभाष कालोनी झालावाड़ तहसील झालावाड़ जिला झालावाड़ राजस्थान केता, यह वचन देते है कि दस्तावेज विक्रय पत्र भविष्य में अस्पष्ट एवं अपठनीय होने पर पंजीयन विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं है।

यह विक्रय पत्र हमने बदरूस्ती, होश हवास, बिना किसी दाब दबाव व बिना किसी नशे पते के लिख दिया है। जो सन्द रहे वक्त जरूरत काम आवे

हस्ताक्षर साक्षीगण

हस्ताक्षर विक्रेता पक्ष

1. प्रशान्त कुमार पुत्र प्रहलाद शर्मा जाति ब्राह्मण उम्र 28 वर्ष निवासी खानपुर

Prashant

2. हेमन्त खण्डेलवाल पुत्र दिनेश कुमार

जाति महाजन उम्र 35 वर्ष निवासी खानपुर

हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष केता

नोट:- यह विक्रय पत्र श्रीमति बदरूनिशा पति श्री बुन्दुखान जाति मुसलमान साकिन गाडरवाडा नूरजी तहसील खानपुर जिला झालावाड़ राजस्थान विक्रेता, के अनुसार लिखा गया है। इसमें 69 लाउने एवं 773 शब्द है। बकेल परवेज खान डीड राइटर खानपुर।

क्रमांक:- 3848

दिनांक:-

8/10/07

श्रीमती बदलीनशा पत्नी श्री बुद्ध खॉन जाति मुसलमान निवासी गाहरवाडा वूरजी
तहसील खानपुर जिला झालावाड राज0

[Signature]

चाद खॉ

स्टाम्प वेण्डर खानपुर

Rs.1000

Rs.1000

[Faint, mostly illegible text in the main body of the document, possibly containing a legal notice or affidavit.]



विक्रेता - 400000 / - रूपये

अखलाक मोहम्मद आत्मज अब्दुल मजीद उम्र 44 साल जाति नीलगर निवासी खानपुर तहसील खानपुर जिला झालावाड़ राजस्थान

केता - मदन इण्डिया एज्यूकेशनल सोसायटी झालावाड़ राजस्थान जरिये सचिव आजाद हुसैन आत्मज श्री शमसुद्दीन जाति मुसलमान निवासी सुभाष कॉलोनी झालावाड़ जिला झालावाड़ राजस्थान

यह विक्रय पत्र आज दिनांक 27-7-2012 को श्री अखलाक मोहम्मद आत्मज अब्दुल मजीद जाति मुसलमान निवासी नीलगर निवासी खानपुर तहसील खानपुर जिला झालावाड़ राजस्थान एवं जो इस विक्रय पत्र का प्रथम पक्षकार है जिसे आगे विक्रेता कहा गया है तथा मदन इण्डिया एज्यूकेशनल सोसायटी झालावाड़ राजस्थान जरिये सचिव आजाद हुसैन आत्मज श्री शमसुद्दीन जाति मुसलमान निवासी सुभाष कॉलोनी झालावाड़ जिला झालावाड़ राजस्थान एवं जो इस विक्रय पत्र का द्वितीय पक्षकार है जिसे आगे केता कहा गया है के मध्य निष्पादित किया गया है।

और वूँकि उक्त प्रथम पक्ष के खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम खानपुर तहसील खानपुर में नया खाता नंबर 2 पुराना खाता नंबर 5 के खसरा नंबर 362/3022 की 2 बीघा किरम माल दोयम रम 1.90 रूपये प्रति बीघा से लगानी 3.80 रूपये है स्थित है उक्त खसरा नंबर की आराजी 2 बीघा में से 900 वर्गफिट भूमि विक्रय करने के एवात शेष 1 बीघा 19 बिरवा में से 1 बीघा 07 बिरवा दक्षिण पश्चिम

अखलाक मोहम्मद शेख

क्रमांक: 1984

दिनांक 27.7.2012 अफताखीहम्मद आत्मज अब्दुल मजीदजाति
मुसलमान जीलगर निवासी खानपुर तहसील खानपुर वार्ड तेविकमन

स्टाफ केडर
राजकुमार गेहलोत 5/98



राज्य सेवा दिनांक 31 मार्च 2012
बी 10-20 को जगें 10-30 जगें के जगें खानपुर के।
वर्तमान कार्यालय में श्री अफताखीहम्मद
पुत्र श्री अब्दुल मजीद
आ. नु. 44 का जति अफताखीहम्मद आत्मज
निवासी राजकुमार गेहलोत ने यह सब पत्र वर्तमान हेतु
प्रस्तुत किया।

अफताखीहम्मद गेहलोत



Handwritten signature and official stamp of the District Officer, Jaipur.

रसाद नं० 47 दि० डा० 12
दि० फीस 4460/-
सकल 3007/-
अधीन 9980/-
पुस्तक 2230/-
वैदिक फीस
योग 9250/-
Handwritten signature and official stamp of the District Officer, Jaipur.



A 055102

दिशा की भूमि मदर इण्डिया एज्यूकेशनल सोसायटी झालावाड़ जयपुर के जयपुर-आजाद हुसैन आत्मज शमसुद्दीन जाति मुसलमान निवासी सुभाष कॉलोनी झालावाड़ को बैचान कर आराजी का कब्जा संभला दिया है, जिसके उत्तर दिशा में अखलाक मोहम्मद की शेष कृषि भूमि स्थित है उक्त आराजी को विक्रय करने का प्रथम पक्ष को पूर्ण अधिकार है प्रथम पक्ष ने इससे पूर्व उक्त आराजी को किसी अन्य को विक्रय दान बंधक या अन्य प्रकार से हस्तान्तरित नहीं किया है उक्त आराजी किसी अदालती कार्यवाही में विवादग्रस्त नहीं है उक्त आराजी हर तरह से पाक एवं साफ है जिसके एक मात्र स्वामी प्रथम पक्ष है।

चूंकि प्रथम पक्ष को रूपयों की आवश्यकता है इसलिये उक्त आराजी को 400000/- रूपयों में विक्रय करने का प्रस्ताव प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष के समक्ष रक्खा जो स्वीकार करता है स्टाम्प 20000 रूपयों के लगाये गये हैं।

- 1- कि उक्त विक्रेता प्रथम पक्ष ने क्रेता द्वितीय पक्ष से उक्त आराजी के प्रतिफल की राशि 400000/- रूपयों बाला-बाला प्राप्त कर लिये हैं तथा आराजी का कब्जा क्रेता को संभला दिया है।
- 2- कि उक्त आराजी सभी प्रकार के भारों एवं प्रभारों से मुक्त है भविष्य में उक्त आराजी के स्वामित्व संबंधी त्रुटि के लिये विक्रेता प्रथम पक्ष उत्तरदायी होगा।
- 3- कि इस विक्रय पत्र के निष्पादन की तिथि से क्रेता उक्त आराजी को किसी को भी हस्तान्तरित करने को स्वतंत्र है।
- 4- कि इस विक्रय पत्र के निष्पादन की तिथि से उक्त आराजी का स्वामित्व क्रेता में निहित हो गया है एवं वह स्वयं या उसके

रुखसाह मिश्रा केर

क्रमांक/ 1969

दिनांक 27.7.2012 अंकाक मोहम्मद आत्मज अब्दुल मजीद जाति मुतलमान
नीलमर निवासी खानपुर तहसील खानपुरवास्तो विभाग

स्टाम्पकेडर
राजकुमार खिलौत नॉन 5/98

दखलाक मेहर मेर



उक्त श्री ~~अबुलकासिम मोहम्मद~~ ने इस

बेखत का निष्पादन स्वीकार किया।

उक्त निष्पादन के निष्पादन के समय वस्तुओं की संख्या
समय स्वीकार किया गया ~~40000/-~~ ^{40000/-} के
के ~~40000/-~~ ^{40000/-} रूप में
पुस्तक सब रजिस्टार के तहत ~~स्वीकार किया~~

उप पंजीयक
खानपुर (खानपुर)

मुहूर्त



[Handwritten signature]



उक्त निष्पादन कर्ता, कर्ताओं का गवाही।

1. श्री ~~अबुलकासिम~~ पुत्र श्री ~~अबुलकासिम~~
आयु. 47 वर्ष जाति ~~मुसलमान~~ निवासी ~~खानपुर~~
निवासी ~~खानपुर~~
2. श्री ~~अबुलकासिम~~ पुत्र श्री ~~अबुलकासिम~~
आयु. 45 वर्ष जाति ~~मुसलमान~~ निवासी ~~खानपुर~~
~~खानपुर~~ निवासी ~~खानपुर~~

उप पंजीयक, खानपुर



राजस्थान RAJASTHAN

A 055103

उत्तराधिकारी वारिस उसका उपयोग एवं उपभोग अपनी इच्छानुसार कर सकेगे जिसमे विक्रेता उसके उत्तराधिकारी वारिस किसी प्रकार की बाधा नहीं डालेगा।

5- कि उक्त आराजी पर कोई कर आदि बकाया नहीं है भविष्य में देयकारो का भुगतान कंता द्वारा किया जायेगा।

यह आराजी खानपुर से बारा झालावाड जाने वाले रोड से 510 मीटर दूर है तथा आबादी से 1 कि०मी० दूर है इस आराजी के आस पास कोई औद्योगिक इकाईया नहीं है यह आराजी नगरपालिका सीमा में नहीं आती है।

यह दस्तावेज विक्रय पत्र 20000 रूपये के स्टाम्प 5000 रूपये के चार किता पर तहरीर किया गया है।

1- इस दस्तावेज द्वारा हस्तान्तरित की जाने वाली भूमि किसी स्थानीय निकाय विभाग की नहीं है।

2- इस दस्तावेज में अंकित कोई भी शब्द सदिग्ध भ्रमक नहीं है।

वचनपत्र

हम अखलाक मोहम्मद आत्मज श्री अब्दुल मजीद जाति मुसलमान निवासी खानपुर तहसील खानपुर जिला झालावाड राजस्थान विक्रेता तथा मदर इण्डिया एज्युकेशनल सोसायटी झालावाड राजस्थान जरिये सचिव, आजाद हुसैन आत्मज शमसुद्दीन जाति मुसलमान निवासी सुभाष कॉलोनी झालावाड जिला झालावाड राजस्थान कंता वचन देते है कि दस्तावेज विक्रय पत्र भविष्य में अस्पष्ट एवं अपठनीय होने पर पंजीयन विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं है।

अखलाक मोहम्मद

क्रमांक: 1964

दिनांक 27.7.2012 अकांक मोहम्मद आत्मज अब्दुल मजीद जाति मुसमान
अनिलक निवासी खानपुर तहसील खानपुरवास्ते विक्रयपत्र
रिजिस्ट्रार हकीत 5/98

नाम दिनांक 3 मास 01 तन् 28/12
को पुस्तक संख्या 01 जिल्ह संख्या 188
व्य संख्या 1989 पुष्ठ संख्या 154 से 10
पर वजीबत किया गया।
प्रतिलिपि अतिरिक्त पुस्तक संख्या की जिल्ह संख्या 224
पुष्ठ संख्या 401-404 दिनांक 31 मास 01
को जिल्ह काई गई।
रिजिस्ट्रार हकीत, सीकर



राजस्थान RAJASTHAN

A 055104

यह विक्रय पत्र मेने बदरुस्ती होश हवाश बिना किसी दाब-दबाव के बिना नशे पते के लिख दिया जो सनद रहे वक्त जरूरत काम आवे।

साक्षीगण


दुन्दुबान आत्मज हाजी नसीर उम्र 47साल

जाति वैशाली मुसलमान निवासी इलाहाबाद

उप पंजीयक तहसील खानपुर जिला इलाहाबाद राज
 खानपुर (इलाहाबाद)

अखलाक मोहम्मद जी
 हस्ताक्षर प्रथम पक्ष विक्रेता

§2§
 यदुनन्दन आत्मज पुरुषोत्तम गौतम उम्र 45साल

जाति ब्रह्मण्य निवासी खानपुर तहसील

खानपुर जिला इलाहाबाद राजस्थान

Azady
 हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष केता



नोट यह विक्रय पत्र अखलाक मोहम्मद जी के कहे मुताबिक लिखा पढकर सुनाया गया इसमे 65 लाइने 650 शब्द है बेकलम सुरेन्द्र कुमार

सुरेन्द्र कुमार गेहलोत

डाॅर पाट्र

कार्यालय उ पंचायत खानपुर
 अनुज्ञा पत्र संख्या 56/2001

क्यांक 151 दिनांक 27-7-2012
 स्थान हस्ताक्षर

क्रमांक: 1969.

दिनांक 27.7.2012 अक्षांक मीरंमहद जा 03 अब्दुल मजीद जा ति मुसलमान
निवासी : मीरंमहद जानपुर तहसील जानपुर वार्ड नं० विक्रमपुर

हटा म्मवेण्डर
राजकुमार हेलोत 5/98
तहसील जानपुर

401820 4

MAHARAJA UNIVERSITY

प्राचार्य राजकुमार हेलोत तहसील जानपुर

तहसील जानपुर तहसील जानपुर

INDIA NON JUDICIAL

4000रु. R^s 5000

सत्यमेव जयते
भारत
रुपये **FIVE THOUSAND RUPEES**




राजस्थान राजस्थान



उपकोष खानपुर उपकोष खानपुर

38/12/14

विक्रय पत्र :- 60,000/- रुपये
=====

विक्रेता :- श्री सुरजमल उम्र 75 साल आत्मज श्री रामनारायण जी जाति ब्राह्मण निवासी गोलाना तहसील खानपुर जिला- झालावाड {राज0}

श्रेता :- मदन इंडिया रेज्यूकेशनल सोसायटी झालावाड क्रमांक 29/झालावाड 2003-04 जर्ने - वर्तमान सचिव आजाद हुसैन पुत्र श्री शमशू उद्दीन जाति मुसलमान निवासी झालवाड तहसील झालरापाटन जिला- झालावाड {राज0} न्या ब्लॉक स्कूल झालावाड -

यह विक्रय पत्र आज दिनांक 30.12.04 को श्री सुरजमल उम्र 75 साल आत्मज श्री रामनारायण जी जाति ब्राह्मण निवासी गोलाना तहसील खानपुर जिला- झालावाड {राज0} इस विक्रय पत्र का प्रथम पक्षकार है तथा श्री मदन इंडिया रेज्यूकेशनल सोसायटी झालावाड क्रमांक 29/झालावाड 2003-04 जर्ने वर्तमान सचिव आजाद हुसैन पुत्र शमशू उद्दीन जाति मुसलमान निवासी झालावाड तहसील झालरापाटन न्यू ब्लॉक स्कूल झालावाड राजस्थान इस विक्रय पत्र का द्वितीय पक्षकार है जिसे अग्रे श्रेता कहा गया है, के मध्य निष्पादित

500005

666 30.12.14 30.12.14 श्री श्री सुरभ मल श्री. राम नारायण जाति प्रो. एम. वि. गोलाना


आवा कस्य 9600L यथा वसये वर
कस्य 9600L आनन कुमला तौर
म् विविधन स्टाभ वधान किये ।

वात्रे - विडपपुज

Subbaraj
उपकावाधिकारी
मन्कोव वातपुत्र

- 1. 5000 X 1 = 5000
 - 2. 1000 X 3 = 3000
 - 3. 500 X 3 = 1500
 - 4. 100 X 1 = 100
- 9600

Subbaraj
उपकावाधिकारी
मन्कोव वातपुत्र



मन्कोव वातपुत्र मन्कोव वातपुत्र

श्री श्री सुरभ मल श्री. राम नारायण जाति प्रो. एम. वि. गोलाना

आवा कस्य 9600L यथा वसये वर
कस्य 9600L आनन कुमला तौर
म् विविधन स्टाभ वधान किये ।

वात्रे - विडपपुज

Subbaraj
उपकावाधिकारी
मन्कोव वातपुत्र

मन्कोव वातपुत्र मन्कोव वातपुत्र


श्री श्री सुरभ मल श्री. राम नारायण जाति प्रो. एम. वि. गोलाना

आवा कस्य 9600L यथा वसये वर
कस्य 9600L आनन कुमला तौर
म् विविधन स्टाभ वधान किये ।

वात्रे - विडपपुज

Subbaraj
उपकावाधिकारी
मन्कोव वातपुत्र

मन्कोव वातपुत्र मन्कोव वातपुत्र



राजस्थान राजस्वान

/2/

किया गया है, ।

और चूंकि उक्त प्रथम पक्ष के डाले एवं कब्जे काशत की आराजी माल गोलाना तहसील खानपुर नया डाता नं. 478 व पुराना डाता नं. 15 की ख. नं. 342/1 की 6 बीघा 3 बिस्वा माल दोयम रम 1.90 रुपये प्रति बीघा से लगानी 11.68 रुपये है स्थित है जो ख. नं. इस विक्रय पत्र में दर्शाया गया है के एक काशत 6 बीघा 3 बिस्वा में से 2 बीघा आराजी उत्तरदिशा की तरफ की विक्रय करना चाहता है। उक्त ख. नं. की आराजी को विक्रय करने का प्रथम पक्ष को पूर्ण अधिकार है। प्रथम पक्ष ने इससे पूर्व उक्त आराजी को किसी को भी हस्तान्तरित करने एवं विक्रय दान बन्धक या अन्य प्रकार से - हस्तान्तरिक नहीं किया है तथा उस पर प्रथम पक्ष ही काबिज है उक्त आराजी पर कोई ऋण कर एवं अन्य प्रभार बकाया नहीं है और न ही किसी अदालती कार्यवाही में उक्त आराजी विवादास्पद है उक्त आराजी हर तरह से पाक एवं साफ है जिसका एक मात्र स्वामी प्रथमपक्षकार है। यह आराजी पास की ट्यूबल से कीमतन सिंचित होती है।

चूंकि प्रथम पक्ष को रूपयों की आवश्यकता है इसलिये उक्त आराजी के एक काशत को 60,000/- रूपयों में विक्रय करने का प्रस्ताव प्रथमपक्ष द्वारा - द्वितीय पक्ष के समक्ष रखा जो स्वीकार करत है। मगर आराजी का बाजार भाव ज्यादा होने से इसकी वैलीवेशन 120,000/- रूपयों की मानकर स्टाम्प 9600/- रुपये के लगाये गये है।

1- कि उक्त विक्रेता प्रथमपक्ष ने केता द्वितीय पक्ष से उक्त आराजी के एक काशत

... 3 पर

(Signature)

280001

666
30/12/04

30-12-04

सुरजमल पि राम नारायण जाति (ब्राह्मण)
नि. गोलाणा
पौ. नि. खानपुर

आय 9600/-
कर 9600/-
अतिरिक्त स्टाम्प चरान किये।

उपकाधिकारी
खानपुर

आज दिनांक 30 माह December सन् 2004 को 04:47 बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री SURAJMAL पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RAMNARAYAN
उम्र 75 वर्ष, जाति BRAHMAN व्यवसाय FARMER
निवासी GOLANA
ने मेरे सम्मुख हस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
(2004003037)

उप पंजीयक
तहखानपुर (मालायाह)



हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
(2004003037) (2004003037)
(Sale Deed (Conveyance deed))

रसीद नं 1614 दिनांक 30/12/2004
पंजीयन शुल्क रू 1320/-
प्रतिलिपि शुल्क रू 200/-
पृष्ठांकन शुल्क रू 0/-
अन्य शुल्क रू 0/-
कपी स्टाम्प शुल्क रू 960/-
कुल योग रू 2480/-

उप पंजीयक

(2004003037) उप पंजीयक, तहखानपुर (मालायाह)
(Sale Deed (Conveyance deed))



राजस्थान राजस्थान

13/

की प्रतिफल की राशि 60,000/- रुपये वाला बाला बाला प्राप्त कर लिये है तथा आराज का कब्जा ज़ेता को सम्भला दिया है ।

2- कि उक्त आराजी सभी प्रकार शारों एवं प्रशारों से मुक्त है तथा अधिक्य में उक्त आराजी के स्वामित्व सम्बन्धित त्रुटि के लिये विक्रेता प्रथम पक्ष ही उत्तरदायी होगा ।

3- कि इस विक्रय पत्र के निष्पादन की तिथि से उक्त आराजी का स्वामित्व ज़े में निहित हो गया है एवं स्वयं उसके उत्तराधिकारी चारित उसका उपयोग एवं उपभोग अपनी इच्छा अनुसार कर सकेंगे जिसमें विक्रेता उसके उत्तराधिकारी एवं चारित किसी प्रकार की बाधा नहीं डालेंगे ।

4- कि इस विक्रय पत्र के निष्पादन की तिथि से ज़ेता उक्त आराजी को किसी को भी हस्तान्तरित करने एवं इच्छा अनुसार उपयोग करने के लिये स्वतंत्र है

5- कि उक्त आराजी पर कोई कर आदि बकाया नहीं है तथा अधिक्य में देय कारों का भुगतान ज़ेता द्वारा किया जावेगा ।

यह आराजी सड़क के पास है व आगादी से 2 कि.मी. दूर है इस आराजी के आस पास कोई औद्योगिक इकाईयां नहीं है । यह आराजी नगर पालिका सीमा में नहीं आती है ।

यह दस्तावेज विक्रय पत्र 9600/- रुपयों के स्टाम्प 5000 का । किता व 1000 के 3 किता व स्पेशलर्टिफिकेट 500 का 3 किता व 100 का । किता पर तहरीर किया गया है ।

1- कि इस दस्तावेज द्वारा हस्तान्तरित की जाने वाली भूमि किसी स्थानीय निकाय विभाग की नहीं है ।

...4

200001

666
30/12/14

30-12-14

सुरजमल पि-राम-गराण जाति 21/12/14

इसका मूल्य ₹6000/- पुत्र कराये वर
करने ₹6000/- नन कुमला वीर
प्रतिशतक स्टाप बचान किये।

नि गोलाणा


वॉल्वे-कि. 25/25

Securing
उपकीर्तिकासी
उपकोष बानपुर

हस्ताक्षर फोटो अंगूठा

उक्त श्री/श्रीमती/सुश्री (Executant)
1-SURAJMAL/RAMNARAYAN
Age:75, Caste-BRAHMAN
Ocu.-FARMER
R/O-GOLANA

Surajmal



(And Claimant)
1-MOTHER INDIA EDUCATION SOCIETY JHALAWAR
JARY AZAD HUSSAIN/SHAMSHUDDIN
Age:0, Caste-MUSALMAN
Ocu.-SACIV
R/O-JHALAWAR NEW BLOCK SCHOOL

Azad

ने लेख्यपत्र Sale Deed (Conveyance deed)
को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया।
प्रतिफल राशी रू० 132000/- पूर्व में/मेरे
सम्बन्ध/मे रों रू० 132000/-पूर्व में
यमेरे सम्बन्ध प्राप्त करना स्वीकार किया।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान
1. श्री/श्रीमती/सुश्री PRAHLAD
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री PRABHULAL उम्र 33 वर्ष
जाति GUJAR व्यवसाय FARMER
निवासी GOLANA

Prahlad



2. श्री/श्रीमती/सुश्री BUNDU KHAN
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री NASEER KHAN उम्र 39 वर्ष
जाति MUSALMAN व्यवसाय CONTRACTOR
निवासी GADARWARA NOORJI ने की है जिनके

Naseer

समस्त हस्ताक्षर एवं अंगूठा के निशान मेरे सम्बन्ध लिये गये हैं।

(2004003037)
(Sale Deed (Conveyance deed))

उप पंजीयक
तहसीलानपुर (गोलाणा)



30/12/04
राजस्थान

राजस्थान राजस्थान

इस दस्तावेज में अंकित कोई भी शब्द लौढ़िग्ध व प्रेमक नहीं है ।

वचन- पत्र
=====

हम सुरज मल पुत्र आत्मश्री श्री रामनारायण जी जाति ब्राह्मण निवासी गोलाना तहसील वानपुर जिला- झालावाड {राज0} तथा श्री मदन इंडिया रेज्यूकेम सोलायटी झालावाड क्रमांक 29/झालावाड 2003-04 जयें - वर्तमान सचिव आजाद हुसैन पुत्र शम्शु उद्दीन जाति मुसलमान निवासी झालावाड न्यु ब्लॉक स्कूल झालावाड तहसील झालरापाटन जिला- झालावाड {राज0} त्रेता वचन देते है कि दस्तावेज विक्रय पत्र भविष्य में अस्पष्ट एवं अपठनीय होने पर पंजिक्त विभाग की कोई जिमे-दारी नहीं है ।

यह दस्तावेज में बदरस्ती व्हाश बिना किसी दबाव दबाव के बिना नये पत्ते के लिख दिया जो सनद रहे वक्त जरूरत काम आवें ।

हस्ताक्षर साक्षीगण:-
=====

1- *[Signature]*
प्रहलाद जगत 30/12/04 लालपती लालि मणी
2- *[Signature]*
निकमि गोडरवाग बूणी उम 33 वर्ष
[Signature]
कडू खान 30/12/04 नसीर खान नि 8
गोडरवाग बूणी

हस्ताक्षर प्रथमपक्ष विक्रेता

हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष त्रेता


नोट :- यह विक्रय पत्र श्री सुरजमल जी के कहे मुताबिक लिखा पटकर सुनाया गया इसमें 60 लाईन 100 वाब्दे है । बकलम चांदनी डीडराइटर वानपुर दिनांक -

बाई साँ लोक राजपुर
30-12-04 ई.
50-00 राजी 198
दिनांक 30-12-2004

[Signature]

क्रमांक: 1945

दिनांक 27.7.2012 अब्दुल मजीद आठमूर बखरजा ति
मुसलमान शेख नीलगर निवासी खन्मूर वास्ते किरियन


स्टाम्पकेडर
राजकुमार शंकरात 5/98

अब्दुल मजीद शेख



बाज कौणखपर वनाक 31 मास 07 वन 282
का 10-30 को वन 10-40 वन के वन बानपुर के ।
व जायन कायानन से श्री अब्दुल मजीद
पुत्र श्री अप्पुलवण
बातु 65 का जाति कुरुक्षेत्र कायानन वन 282
निवासी सा 10/12 ने यह लत्र पत्र रजोयत हेतु
कानून विषय है


रघु रजोयत, बानपुर

पसोय सं. 48 88 3100-72
दि. फीस 7430/-
बकल 300/-
कानून 7130/-
पुस्तक 3240/-
सिंहल फीस

योग 18580/-

रघु रजोयत, बानपुर



A 055146

बीघा मे से पूर्व 9000 वर्गफिट भूमि पूर्व मे विकय करने के प्छात शेष 3 बीघा 10 बिस्वा मे से 2 बीघा 05 बिस्वा भूमि दक्षिण पश्चिम दिशा की भूमि मदन इण्डिया एज्युकेशनल सोसायटी झालावाड जरिय सचिव -आजाद हुसैन आत्मज शमसुद्दीन जाति मुसलमान निवासी सुभाष कॉलोनी झालावाड को बैचान कर आराजी का कब्जा संभला दिया है, जिसके पूरब दिशा मे प्रभूलाल जी सिन्धी की कृषि भूमि एवं उत्तर दिशा मे अखलाक मोहम्मद शेख की कृषि भूमि स्थित है उक्त आराजी को विकय करने का प्रथम पक्ष को पूर्ण अधिकार है प्रथम पक्ष ने इससे पूर्व उक्त आराजी को किसी अन्य को विकय दान बंधक या अन्य प्रकार से हस्तान्तरित नहीं किया है उक्त आराजी किसी अदालती कार्यवाही मे विवादग्रस्त नहीं है उक्त आराजी हर तरह से पाक एवं साफ है जिसके एक मात्र स्वामी प्रथम पक्ष है।

चूंकि प्रथम पक्ष को रूपयो की आवश्यकता है इसलिये उक्त आराजी को 605000 रूपये मे विकय करने का प्रस्ताव प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष के समक्ष रक्खा जो स्वीकार करता है स्टाम्प 30000 रूपये के लगाये गये है।

1- कि उक्त विकेता प्रथम पक्ष ने केता द्वितीय पक्ष से उक्त आराजी के प्रतिफल की राशि 605000 रूपये बाला-बाला प्राप्त कर लिये है तथा आराजी का कब्जा केता को संभला दिया है।

2- कि उक्त आराजी सभी प्रकार के भारो एवं प्रभारो से मुक्त है भविष्य मे उक्त आराजी के स्वामित्व संबधि त्रुटि के लिये विकेता प्रथम पक्ष उत्तरदायी होगा।

3- कि इस विकय पत्र के निष्पादन की तिथि से केता उक्त आराजी को किसी कोभी हस्तान्तरित करने को स्वतंत्र है।

अखलाक मोहम्मद शेख

क्रमांक: 1965

दिनांक 27.7.2012 अब्दुल मजीद आत्मज गुरबखी जाति मुसलमान
निवासी शेखीलगर निवासी खानपुर वारिसी विलियम

स्टाम्पेडर
राजकुमार गेहलोत लार्न 5/98

अब्दुल मजीद शेख



उक्त श्री अब्दुल मजीद ने इस
लेखपत्र का निष्पादन स्वीकार किया।
कृत निष्पादन = निष्पादन करण इस्ताफज द्वारा क-
समय 2012। कृत गुरु गुरबखी 605000
605000 के रूप में
कृत सब रजिस्ट्री-कं समझ व-कृत स्वीकार किया

श्री
उप पंजीयक
जातपर (आनाबाद)

उक्त निष्पादन कला, कलाओं का गवास्ता

1. श्री कुतुबुल्लाह ... पुत्र श्री खली अली
बापु. 49 एवं जाति कुतुबुल्लाह एवं जाति खली
निवासी आबाबाद तहसील खली
2. श्री राहुल अली ... पुत्र श्री कुतुबी अली
बापु. 45 एवं जाति खली एवं जाति कुतुबी
निवासी आबाबाद तहसील खली

श्री
उप पंजीयक, खानपुर

श्री



श्री





A 055147

4- किइस विक्रय पत्र के निष्पादन की तिथि से उक्त आराजी का स्वामित्व केता मे निहीत हो गया है एवं वह स्वयं या उसके उत्तराधिकारी वारिस उसका उपयोग एवं उपभोग अपनी इच्छानुसार कर सकेंगे जिसमे विक्रेता उसके उत्तराधिकारी वारिस किसी प्रकार की बाधा नहीं डालेंगे।

5- कि उक्त आराजी पर कोई कर आदि बकाया नहीं है भविष्य मे देयकारो का भुगतान केता द्वारा किया जायेगा।

यह आराजी खानपुर से बांरा झालावाड जाने वाले रोड से 510 मीटर दूर है तथा आबादी से 1 कि०मी०दूर है इस आराजी के आस पास कोई औद्योगिक इकाईयां नहीं है यह आराजी नगरपालिका सीमा मे नहीं आती है।

यह दस्तावेज विक्रय पत्र 30000 रूपये के स्टाम्प 15000 रूपये के एक किता 5000 रूपये के तीन किता पर तहरीर किया गया है।

1- इस दस्तावेज द्वारा हस्तान्तरित की जाने वाली भूमि किसी स्थानीय निकाय विभाग की नहीं है।

2- इस दस्तावेज मे अंकित कोई भी शब्द संदिग्ध भ्रमक नहीं है।

अनुमोदित मंत्री द्वारा

क्रमांक १९०५

दिनांक 27.7.2012 जयपुर मजीद जी लख गहूर वधवा जाति मुसलमान निवासी
खानपुर रोड नालसर तहसीलजयपुर वास्ते विक्रयत्र

रजिस्ट्रार
राजकुमार महोदय 5/98

1220 4



बाज अदालत ... 31 ... वात ... 0 ... तन् 29/12
 श्री पस्तक संख्या ... 0/ ... जिल्ला संख्या ... 188
 क्रम संख्या ... 1983 ... पृष्ठ संख्या ... 175 ... 0
 पर पंजीकृत किया गया ।
 प्रतिलिपि अतिरिक्त सुरतक संख्या की जिल्ला संख्या ... 294
 वी पृष्ठ संख्या 405-408 दिनांक ... 31 ... 0
 को ... 292 ... को ...



A 055148

राजस्थान RAJASTHAN
25 JUL 2012
खानपुर (झालावाड़)

हम अब्दुल मजीद आत्मज श्री गफूरबख्श जाति मुसलमान -शेख
नीलगर निवासी खानपुर तहसील खानपुर जिला झालावाड राजस्थान विकेता
तथरा मदन इण्डिया एज्युकेशनल सोसायटी झालावाड राजस्थान जरिय सचिव
आब्बाद हुसैन आत्मज शमसुद्दीन जाति मुसलमान निवासी सुभाष कॉलोनी
झालावाड जिला झालावाड राजस्थान केता वचन देते है कि दस्तावेज विकय
पत्र भविष्य मे अस्पष्ट एवं अपठनीय होने पर पंजीयन विभाग की कोई
जिम्मेदारी नहीं है।

यह विकय पत्र मेने बदरुस्ती होश हवाश बिना किसी दाब दबाव के
बिना नशे पत्ते के लिख दिया जो सनद रहे वक्त जरूरत काम आवे।
सक्षीगण

1
बुन्दुबान आत्मज हाजी नसीर उम्र 47साल
जाति मुसलमान निवासी बाडरवाडानूरजी
तहसील खानपुर जिला झालावाड राजस्थान

अब्दुल मजीद शेख

हस्ताक्षर प्रथम पक्ष विकेता

2
यदुनन्दन आत्मज पुरुषोत्तम गोतम उम्र 45
साल जाति ब्राह्मण नि०खानपुर जिला
झालावाड राजस्थान

हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष केता

उप पंजीयक
खानपुर (झालावाड़)

नोट यह विकय पत्र अब्दुल मजीद के कहे मुताबिक लिखा पढकर सुनाया गया
इसमे 65 लाइने 650 शब्द है बेकलम सुरेन्द्र कुमार गेहलोत डीडराइटर
खानपुर दिनांक 27-7-2012



सुरेन्द्र कुमार गेहलोत

डॉड 111हर

कमर्शियल ड 06 टा 10 नपुर

अनुज्ञा पत्र संख्या 50/2001

कमांक 150 दिनांक 27-7-2012

व्यवह 102 हस्ताक्षर



30-12-04
राजस्थान राजस्थान



राजस्थान राजस्थान

01CC 195326

विक्रय पत्र :- 135,000/- रुपये
=====

विक्रेता :- श्री सुरज मल उम्र 75 साल आत्मज श्री रामनारायण जी जाति
=====

ब्राह्मण सार्विक गोलाना तहसील खानपुर जिला- झालावाड {राज0}

क्रेता :- मदन इंडिया रेज्यूकेसनल सोसायटी झालावाड क्रमांक 29/झालावाड03-04
=====

जयें - वर्तमान सचिव आजाद हुसैन पुत्र शम्शुद्दीन जाति मुसलमान उम्र 30साल
निवासी झालावाड {जिला- झालावाड {राज0} न्यू . ब्लाक झालावाड

30/12/04
उप पंजीयक
तहखानपुर(झालावाड)

यह विक्रय पत्र आज दिनांक 30-12-2004 को श्री सुरजमल उम्र 75 साल आत्मज श्री रामनारायण जी जाति ब्राह्मण सार्विक गोलाना तहसील खानपुर जिला- झालावाड {राज0} एवं जो इस विक्रय पत्र का प्रथम पक्षकार है जिसे - आगे विक्रेता कहा गया है तथा मदन इंडिया रेज्यूकेसनल सोसायटी झालावाड क्रमांक 29/झालावाड 2003-2004 जयें वर्तमान सचिव आजाद हुसैन पुत्र शम्शुद्दीन जाति मुसलमान निवासी झालावाड तहसील झालरापाटन जिला झालावाड {राज0} न्यू ब्लाक स्कूल झालावाड-एवं जो इस विक्रय पत्र का द्वितीय पक्षकार है , जिसे आगे क्रेता कहा गया है के मध्य निष्पादित किया गया है ।

और चूँकि उक्त प्रथम पक्ष के हाते ब कब्जे कायत की आराजी माल - गोलाना तहसील खानपुर में नया ठाता नं. 478 व पुराना ठाता नं. 15 की ख.नं. 233 /1 की 4 बीघा 10 बिस्वा माल प्रथम रम 2.20 रुपये

Ramesh

निरन्तर... 2 पर



राजस्थान राजस्थान

12/

से लगानी 9.90 रुपये है स्थित है जो खसरा नम्बर इस विक्रय पत्र में दर्शाया गया है के एक काशत को विक्रय करना चाहता है। उक्त ख. नं. की आराजी के विक्रय करने का प्रथम पक्ष को पूर्ण अधिकार है प्रथम पक्ष ने इससे पूर्व उक्त आराजी को किसी अन्य को विक्रय दान बन्धक या अन्य प्रकार से हस्तान्तरित नहीं किया है तथा उस पर प्रथम पक्ष हर कार्रवाई है उक्त आराजी पर कोई गण कर एवं अन्य प्रकार बकाया नहीं है। और न ही किसी अदाकारी कार्य वाही में उक्त आराजी विवादास्पद है उक्त आराजी हर तरह से पाक एवं साफ है जिसका एक मात्र स्वामी प्रथम पक्ष है। यह आराजी पास की ट्यूबेल से सिंचित होती है कीमतन।

चूँकि प्रथमपक्ष को रूपयों की आवश्यकता हैइसलिये उक्त आराजी के एक काशत को 135,000/- रुपये में विक्रय करने का प्रस्ताव प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष के समक्ष रखा जो स्वीकार करता है मगर आराजी का बाजार भाव ज्यादा होने से इसकी वेलीवेशन 270,000/- रूपयों की मानकर स्टाम्प 21,600/- रूपयों के लगाये गये है।

1- कि उक्त विक्रेता प्रथम पक्ष ने क्रेता द्वितीय पक्ष से उक्त आराजीके एक काशत की प्रतिफल की राशि 135,000/- रुपये अर्कर एक लाख पत्तीस हजार रुपये बाला बाला प्राप्त कर लिये है और आराजी का कब्जा क्रेता को सम्भला दिया है।

2- कि उक्त आराजी सभी प्रकार शारोडं एवं प्राशारों से मुक्त है

.... 3 पर

Prince

665
21/12/04
30/12/04

दिनांक 30.12.04

सुरजमल पि. राम नारायण जाति ब्राह्मण
नि. गोलाना
वाफि-किडपफ

हस्ताक्षर 21600/- या कराये वर
करन 21600/- या जमना नोन
वाफि-किडपफ

Sulmy
उपकोषाधिकारी
रवकोष बाणपुर

आज दिनांक 30 माह December सन् 2004 को 04:14 बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री SURAJMAL पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RAMNARAYAN
उम्र 75 वर्ष, जाति BRAHMAN व्यवसाय FARMER
निवासी GOLANA
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

Sulmy

Sulmy
उप पंजीयक
तहसील बाणपुर (झापा)

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता (2004003036) हस्ताक्षर उमा मणी खानपुर (2004003036)



(Sale Deed (Conveyance deed))
रसीद नं 1613 दिनांक 30/12/2004
पंजीयन शुल्क रू 2970/-
प्रतिलिपि शुल्क रू 200/-
पूछांकन शुल्क रू 0/-
अन्य शुल्क रू 0/-
कमी स्टाप शुल्क रू 2160/-
कुल योग रू 5330/-
(2004003036) उप पंजीयक KHANPUR
(Sale Deed (Conveyance deed))
तहसील बाणपुर (झापा)



राजस्थान राजस्थान

1/2

तथा शक्ति में उक्त आराजी के स्वामित्व सम्बन्धित तृटि के लिये विज्ञेता प्रथम पक्ष उत्तरदायी होगा ।

3- कि इस विक्रय पत्र के निष्पादन की तिथिसे जेता उक्त आराजी स्वामित्व जेता में निहित हो गया है एवं व स्वयं उसके उत्तराधिकारी वारिस उसका उपयोग एवं उपभोग अपनी इच्छा अनुसार कर सकें जिनमें विज्ञेता उसके उत्तराधिकारी एवं वारिस किसी प्रकार की बाधा नहीं डालेंगे ।

4- कि इस विक्रय पत्र के निष्पादन की तिथिसे जेता उक्त आराजी को किसी को भी हस्तान्तरित करने एवं इच्छा अनुसार उपयोग करने के लिय स्वयं त है

5- कि उक्त आराजी पर कोई कर आदि बकाया नहीं है तथा शक्ति में देय कारों का मुक्तान जेता द्वारा किया जावेगा ।

यह आराजी सड़क से पास है और आबादी से 2 कि.मी. दूर है इस आराजी के आस पास कोई औद्योगिक ड कार्डिया नहीं है यह आराजी नगर पालिका सीमा में नहीं आती है ।

यह दस्तावेज विक्रय पत्र 21600/- रूपयों के स्टाम्प 20,000 का । किता 1000 का एक किता 500 का । किता 100 का । किता पर तहरीर किया गया है ।

1- इस दस्तावेज द्वारा हस्तान्तरित की जाने वाली भूमि किसी स्थानीय निकाय विभाग की नहीं है ।

2- कि इस दस्तावेज में अंकित कोई भी शब्द संदिग्ध व अशुभक नहीं है ।

... 4

[Handwritten signature]

665 30-12-14 सुब्ज मल पि राम नारायण जाति ब्राह्मण

हस्ताक्षर 21600 L या कराये वर
उपर 21600 L नन वमना वोन
महिवा 21600 L वरान दिवे ।

नि जोलाना
वोन-गिठपप

Sudhu
उपकी वाकिवाली
अपनेय कामपुर

हस्ताक्षर फोटो

अंगूठा

उक्त श्री/श्रीमती/सुश्री (Executant)
1-SURAJMAL/RAMNARAYAN
Age:75, Caste-BRAHMAN
Ocu.-FARMER
R/O-GOLANA

निजमता नमस्कार

(And Claimant)
1-MADAR INDIA EDUCATIONAL SOCITY
JHALWAR, JARY AZAD HUSSAIN /SHAMSHUDDIN
Age:30, Caste-MUSALMAN
Ocu.-SACIV
R/O-JHALAWAR NEW BLOCK

ने लेख्यपत्र Sale Deed (Conveyance deed)
को यह सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया।
प्रतिफल राशी रू0 297000/- पूर्व में/मेरे
समक्ष/में रं रू0 297000/-पूर्व में
यमेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान
1. श्री/श्रीमती/सुश्री BUNDU KHAN
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री NASEER KHAN उम्र 39 वर्ष
जाति MUSALMAN व्यवसाय CONTRACTOR
निवासी GADARWARA NOORJI

2. श्री/श्रीमती/सुश्री PRAHLAD
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री PRABHULAL उम्र 33 वर्ष
जाति GUJAR व्यवसाय FARMER
निवासी GOLANA ने की है जिनके

समस्त हस्ताक्षर एवं अंगूठा के निशान मेरे समक्ष लिये गये हैं।

(2004003036)
(Sale Deed (Conveyance deed))

उप पंजीयक, KHANPUR
तहखानपुर (झालावाड़)

Ramnarayan

Azad

Bundu Khan

Prahlad





14/राजस्थान राजस्थान

वचन- पत्र
=====

हम सुरजमल पुत्र रामनारायण जी जाति ब्राह्मण निवासी गोलाना तहसील धानपुर जिला- झालावाड {राज0} विज्ञेता तथा श्री मदरइंडिया ऐज्युकेशन सोसायटी झालावाड क्रमांक 29/झालावाड 2003-04 जयें - वर्तमान सचिव आजाद हुसैन पुत्र शम्भू उद्दीन जाति मुसलमान निवासी झालावाड न्यू ब्लॉक स्कूल झालावा तहसील झालरापा टन जिला - झालावाड {राज0} ज्ञेता वचन देते है कि दस्तावेज विक्रय पत्र शकिय में अस्पष्ट एवं अपठनीय होने पर पंजियन विभाग की कोर्ड - जिम्मेदारी नहीं है &

यह विक्रय पत्र मेने बदरुस्ती होगा ह्वाश बिना किसी दाब बबाव के बिना नशे परते के लिख दिया है जो तनद रहे वक्त जरूरत काम आवें ।

हस्ताक्षर साधीगा:-

हस्ताक्षर प्रथम पक्ष विज्ञेता

§1§

[Signature]

[Signature]

सुरजमल 56 नसीर खान जाति मुसलमान
7800 झालावाड नसीर उद्दीन उद्दीन

§2§

[Signature]

हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष ज्ञेता
[Signature]

पहला उद्दीन 510 पञ्जाल की जाति उद्दीन
नि. गोपाला 35-33 वर्ष

नोट :- यह विक्रय पत्र श्री सुरजमल जी के कहे मुताबिक लिखा गया पदकर सुनाया गया इसमें 60 लाईने पर 0 डाके है । बैकलम चाँदशांडीडराईटर धानपुर दिनांक -

चाँद साँ हांड रा 30.12.04 ई.

उप पंजीनर, शाज
अनुमा पत्र संख्या
उत्तर 50+00 साल 197
दिनांक 30-12-2004

[Signature]

665
30/12/04

30/12/04

21600/-
21600/-

सुजगल प्रि. राम नाथपण जगति साहण
नि. गोलाना
जोसे शिबपण

Subram
अपकोषाधिकारी
अपकोष आनपुर




आज दिनांक 30/12/2004 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 108
में पृष्ठ संख्या 187 क्रम संख्या 2004002255 पर
पंजिबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 107
के पृष्ठ संख्या 70 से 73 पर
बसपा किया गया।

Subram
उप पंजीयक
अपकोषाधिकारी (आनपुर)

(2004003036)
Sale Deed (Conveyance)

[Faint, mostly illegible text from the reverse side of the document, including phrases like 'पुस्तक संख्या', 'जिल्द संख्या', 'पृष्ठ संख्या', 'क्रम संख्या', 'पंजिबद्ध किया गया', 'अतिरिक्त', 'बसपा किया गया']



प्रारूप (ख)
(देखिये नियम 9(3),(4),(6))

कार्यालय विहित प्राधिकारी, उपखण्ड अधिकारी खानपुर

क्रमांक- 468 /राजस्व/07

दिनांक 29.11.07



संपरिवर्तन आदेश

मदर इण्डिया एज्युकेशनल सोसायटी जर्ज सचिव आजाद हुसैन पुत्र शमशुद्दीन जाति मुसलमान निवासी झालावाड के आवेदन पर उसकी खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनों के लिये संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 9 के अधीन अकृषि प्रयोजन के लिये इसे द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है। जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई है :-

1. आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम/पिता/पति का नाम, पूरा पता सहित :-	मदर इण्डिया एज्युकेशनल सोसायटी जर्ज सचिव आजाद हुसैन पुत्र शमशुद्दीन जाति मुसलमान निवासी झालावाड तहसील झालसपाटन।
2. क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति सदस्य है.	नहीं
3. संपरिवर्तन कराये जाने के लिये ब्योरा। (क) ग्राम, ग्राम पंचायत तथा तहसील का नाम - (ख) भूमि का खसरा नम्बर और प्रत्येक खसरा नम्बर का कुल क्षेत्रफल (हेक्टर में) (ग) संपरिवर्तन क्षेत्रफल (हेक्टर या वर्ग मीटर में) (घ) प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल - नोट -(अकृषिक प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन भूमि को दर्शाते हुए राजस्व नक्शों के सुसंगत भाग की सम्यक रूप से सत्यापित प्रति संलग्न है)	खानपुर ग्राम पंचायत खानपुर तहसील खानपुर ख.न. 361/1 की रकबा 01 बीघा में से रोड सेन्टर से 132 फिट/40 मीटर छोड़कर 500 वर्ग मीटर 500 वर्ग मीटर वाणिज्यिक नक्शा ट्रेस संपरिवर्तित भूमि को लाल रेशाही से प्रदर्शित किया है नक्शा संलग्न है। जिसका संपरिवर्तित सड़क के मध्य से 40 मीटर/132 फिट दूरी छोड़कर नियमानुसार किया जा रहा है।
4. संपरिवर्तन का प्रयोजन :-	वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ।
5. सदेय प्रीमियम की दर :-	डी.एल.सी. की पंजीयन दर 12.38/- रु० प्रति वर्ग मीटर की दर से।
6. चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा कराई गई प्रीमियम की रकम :-	चा.स. 19 दिनांक 5.11.07 से 6200/- रूपये मद 0029 भू-राजस्व में जमा।
7. चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा शास्ती यदि कोई हो, की जमा कराई गई रकम :-	निल
8. चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा ब्याज यदि कोई हो, की जमा कराई गई रकम :-	निल
9. क्या आदेश नियमितीकरण के लिये नियम 13 के अधीन जारी किया गया है।	नहीं
10. अन्य विशिष्टियां, यदि कोई हो :-	निल

पेज 2 पर

11. उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा :-

- (1) उपर्युक्त अकृषि प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन भूमि का उपयोग विहित अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा पत्र किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।
- (2) नियम 4 में यथा वर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।
- (3) लोकोपयोगी प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषि प्रयोजन के लिये उपयोग विहित प्राधिकारी के विधि मान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जावेगा।

सुपरखण्ड अधिकारी
खानपुर

दिनांक 29.11.07

क्रमांक- 468-474/राजस्व/07
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ :-

- 1. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, झालावाड।
- 2. तहसीलदार तहसील खानपुर।
- 3. संरपच/सचिव ग्राम पंचायत खानपुर।
- 4. पटवारी हल्का खानपुर।
- 5. त.रा.ले. तहसील कार्यालय खानपुर।
- 6. मर्दर इण्डिया एज्युकेशनल सोसायटी जयें सचिव, आजाद हुसैन पुत्र शमशुद्दीन जाति मुसलमान निवासी झालावाड।

सुपरखण्ड अधिकारी
खानपुर

क्रमांक- 468-474/राजस्व/07	दिनांक 29.11.07
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ :-	
1. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, झालावाड।	
2. तहसीलदार तहसील खानपुर।	
3. संरपच/सचिव ग्राम पंचायत खानपुर।	
4. पटवारी हल्का खानपुर।	
5. त.रा.ले. तहसील कार्यालय खानपुर।	
6. मर्दर इण्डिया एज्युकेशनल सोसायटी जयें सचिव, आजाद हुसैन पुत्र शमशुद्दीन जाति मुसलमान निवासी झालावाड।	